NOC

3-1

संख्या-2762/15-13-91-4(146)/91

प्रेषक,

अशोक गांगुली,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक(मा0)
उ0प्र0, लखनऊ/इलाहाबाद।

शिक्षा (13) अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 30 नवम्बर, 1991

विषय:- प्रदेश स्थित शिक्षण संस्थाओं को कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली/सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रदेश स्थित शिक्षण संस्थाओं को कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली एवं सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की वर्तमान प्रक्रिया को संशोधित कर दिया है। उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के लिए अब शिक्षण संस्थाओं को संलग्न परिशिष्ट-1 तथा 2 पर आवेदन पत्र देना होगा। जो संस्था कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने की माँग करेगी, वह अपना आवेदन पत्र परिशिष्ट-1 के अनुसार तथा जो संस्था सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु माँग करेगी, वह अपना आवेदन पत्र परिशिष्ट-2 के अनुसार अपेक्षित सूचनाओं को पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से इंगित करते हुए, सम्बन्धित सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक को प्रस्तुत करेगी। सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक अपने मण्डल में स्थित संबंधित शिक्षण संस्था का स्वयं स्थलीय निरीक्षण करने के उपरान्त उक्त संस्था को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में अपनी आख्या/संस्तुति शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को प्रेषित करेंगे। स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त यदि विद्यालय में किसी प्रकार की कमियाँ पायी जाती हैं तो सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक अपने स्तर से सम्बन्धित संस्था को उन कमियों के बारे में सूचित करेंगे।

Principal
MANAVA-BHARATI
India International School
Mussoorie-248179

Manager
MANAVA-BHARATI
India International School
Mussoorie-248179

2- उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता हेतु इच्छुक शिक्षण संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए रु० 500/- आवेदन शुल्क के रूप में जमा करना होगा। आवेदन शुल्क की यह धनराशि राजकीय कोषागार में जमा की जानी होगी और निर्धारित आवेदन पत्र के साथ चालान की मूल प्रति संलग्न की जानी होगी। ऐसे आवेदन पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायगी, जिनके साथ चालान की मूल प्रति संलग्न नहीं होगी।

3- जो संस्था वर्ष 1993-94 के शैक्षिक सत्र से उक्त परीक्षा परिषदों/संस्थाओं से सम्बद्धता हेतु प्रदेश सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए इच्छुक होंगी, उनके लिए आवेदन पत्र देने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर, 1991 होगी, और विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन पत्र देने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 1992 होगी। आगामी वर्षों के लिए आवेदन पत्रों देने की अंतिम तिथि 31 अगस्त होगी। 31 अगस्त के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों को केवल प्रत्येक कलेण्डर मास या उसके बाद के लिए रु० 100/- का विलंब शुल्क भुगतान करने पर ही ग्रहण किया जायेगा, किन्तु 30 नवम्बर के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों को सम्बन्धित शैक्षिक वर्ष से स्वीकार नहीं किया जायेगा। ऐसे आवेदन पत्रों पर इससे आगामी शैक्षिक सत्र के लिये विचार किया जायेगा।

यह भी निर्णय लिया गया है कि शिक्षण संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करते समय सामान्य शर्तों के अधीन वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाय।

(क) विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(ख) विद्यालय के प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित सदस्य होगा।

(ग) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए आरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(घ) संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता

Principal
MANAVA-BHARATI
India International School
Mussoorie-248179

Manager
MANAVA-BHARATI
India International School
Mussoorie-248179

प्राप्त है तथा विद्यालय का सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली/काउंसिल फार इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।

(ङ) संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

(च) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

(छ) राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

(ज) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

5- अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने हेतु उक्त शर्तों को सम्बन्धित संस्थाओं की सोसाइटी के बाइलाज में समावेश किया जाना अनिवार्य होगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में शासन को आख्या एवं संस्तुति भेजते समय इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा कि सम्बन्धित संस्था के बाइलाज में उक्त प्रतिबन्धों को समाविष्ट किये जाने हेतु प्रबन्धतंत्र की सहमति प्राप्त है। संस्था और इसके लिए संस्था का विधिवत् प्रस्ताव/रिज्यूलेशन/द्वारा सोसाइटी के बाइलाज में उक्त प्रतिबन्धों को समाविष्ट किये जाने हेतु वांछित कार्यवाही किये जाने के उपरान्त ही राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के आदेश निर्गत किये जायेंगे। सोसाइटी के बाइलाज में यह भी प्राविधान किया जायेगा कि उक्त शर्तों में बिना शासन के पूर्वानुमोदन के कोई परिवर्तन/परिवर्द्धन/संशोधन नहीं किया जायेगा।

6- सम्बन्धित सम्भागीय उप शिक्षा निदेशकों द्वारा सुनिश्चित कर लिया जाय कि जिस किसी संस्था को राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है अथवा किया जा रहा है, वह उक्त प्रतिबन्धों का पालन कर रही है। यदि किसी संस्था के सम्बन्ध में यह पाया जाता है कि उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है तो सम्बन्धित सम्भागीय उप शिक्षा

Principal
MANAVA-BHARATI
India International School
Mussoorie-248179

Manager
MANAVA-BHARATI
India International School
Mussoorie-248179

निदेशक के द्वारा शिक्षा निदेशक एवं राज्य सरकार को स्थिति से तुरन्त अवगत कराया जायेगा, ताकि राज्य सरकार द्वारा उक्त संस्था के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

7- शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक अपने मण्डल में स्थित ऐसे विद्यालयों जो कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली/[illegible] बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली से सम्बद्ध हो अथवा सम्बद्धता हेतु अनापत्ति [illegible] पत्र के इच्छुक हों, के सम्बन्ध में नियंत्रण अधिकारी होंगे और वे स्वयं [illegible] मण्डल में स्थित ऐसे विद्यालयों का निरीक्षण कर आख्या निर्धारित प्रारूप में शिक्षा निदेशक को प्रस्तुत करेंगे।

8- प्रदेश के शिक्षण संस्थाओं को उक्त परीक्षा परिषदों/संस्थाओं से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने हेतु प्रस्तावित मानक परिशिष्ट-3 में संलग्न है। कृपया ऐसे विद्यालयों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर संलग्न परिशिष्ट-1,2 तथा 3 में उल्लिखित बिन्दुओं तथा सम्बन्धित परीक्षा परिषदों के मानकों को ध्यान में रखते हुए परीक्षण कर आख्या प्रस्तुत की जायें।

भवदीय

(अशोक गांगुली)
उप सचिव

सं0-2762 (1)/15-13-91-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, उ0प्र0।
4- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।
5- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।

आज्ञा से

(अशोक गांगुली)
उप सचिव

Principal
MANAVA-BHARATI
India International School
Mussoorie-248179

Manager
MANAVA-BHARATI
India International School
Mussoorie-248179